ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा दायित्व पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री शमशेर सिंह	1.4.13 से 31.3.16

(ii) सचिवः–

1	श्री नवांग रिनचन	1.4.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत उदयपुर के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का रख रखाव निमय–7 के अनुसार न करना	–
2	7	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	3.42
3	8	अनुदानों का उपयोग न करना	32.72
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	8.81

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 10.10.16 से 17.10.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत

जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 5/13, 9/14, व 6/15 तथा 10/13, 3/15 व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्रामों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2016-187, दिनांक 17.10.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत उदयपुर से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड लाहौल, के अवधि 4/13 से 3/16 के स्वस्त्रोतों व अनुदानों की बैंक पास बुक के अनुसार वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1624275.05	3411994	67096	5103365.05	3732015	1371350.05
2014–15	1371350.05	5635024	71117	7077491.05	5242151	1835340.05
2015–16	1835340.05	5900519	87314	7823173.05	2670055	5153118.05

ग्राम पंचायत उदयपुर के विभिन्न बैंक खातों में 31.3.16 को जमा शेष राशियों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट–3** में दिया गया है तथा रोकड़ बहियों के अनुसार स्व स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2 (क) से 2 (च) पार्ट I व II** में दिया गया है।

4.1 रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत उदयपुर की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया था। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में शेष जमा राशियों का विवरण, रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है जोकि उक्त नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत

करते हुए अब अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा रोकड़ बही के दिनांक 31.3.2016 के अन्तिम शेषों का मिलान बैंक खातों के दिनांक 31.3.2016 के अन्तिम शेषों से मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधानव भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	राशि (₹)
1	26.4.13	10740
2	27.4.13	24090
3	28.4.13	32920
4	29.4.13	4455
5	1.6.13 से 7.6.13	4454
6	30.6.13 से 29.7.13	3954
7	30.7.13 से 30.8.13	4354
8	18.9.13 से 30.9.13	4604
9	2.10.13 से 27.10.13	5604
10	28.10.13 से 4.11.13	11054
11	5.11.13 से 7.11.13	8613
12	3.12.13 से 9.1.14	2193
13	10.1.14 से 28.2.14	2993
14	21.8.15 से 15.9.15	2940

6 बजट प्राकलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन फार्म–11 में तैयार नहीं किया गया था, बल्कि पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में सामान्य तौर पर तैयार किया गया था। अतः बजट प्राकलनों को नियमानुसार फार्म–11 में तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार न करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹3.42 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्व स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹342059/– की वसूली शेष थी।

(i) गृहकर (परिशिष्ट–4)

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013–14	76705	16000	92705	78865	13840
2014–15	13840	16000	29840	–	29840
2015–16	29840	15200	45040	–	45040

(ii) दुकानों से किराया

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013–14	191800	118800	310600	83531	227069
2014–15	227069	118800	345869	95300	250569
2015–16	250569	115650	366219	69200	297019

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7.1 गृहकर व दुकान किराया, मांग व वसूली रजिस्टरों को पूर्ण न करनाः–

ग्राम पंचायत उदयपुर के गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त रजिस्टरों को 31.3.16 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः माँग व वसूली रजिस्टरों को पूर्ण न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए माँग व वसूली रजिस्टरों को प्रति परिवार बकाया राशि तथा दुकानदारों की शेष बकाया राशि को रजिस्टरों में दर्ज करके पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹32.72 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक प्राप्त अनुदान ₹3272260/–**(परिशिष्ट–5)** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि में व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

8.1 बैंक में जमा राशियों व अनुदान की शेष राशियों में ₹18.81 लाख का भारी अन्तरः–

ग्राम पंचायत के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशियों व अनुदानों की शेष राशियों **(परिशिष्ट–5)** का मिलान करने पर ₹1880858.05 का अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की राशि किस–किस मद/स्त्रोत की है, का पूर्ण ब्यौरा तैयार करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i)	31.3.16 को बैंकों में जमा शेष	₹5153118.05
(ii)	31.3.16 को अनुदान की शेष राशि	₹3272260.00
	अन्तर	₹1880858.05

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्ययों को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Grant	Month /Year	Name of Work	Expenditure ₹
1	IWMP-V	10/13	C/o Shelling Kuhl	150000
2	-do	10/13	C/o crete wall at shargad Nalla	150000
3	TEC	10/13	C/o community toilet at salpat-I	129827
4	Manrega	3/15	C.C. Plcy ground of G.S.S.S. Madgram	93136
5	-do-	3/15	C/O irrigation tank Tole Ram S/o Budh Ram	69998
6	Deposit	10/15	C/O community toilet at Udiapur	154935
7	TSC	10/15	C/O community toilet at Udaipur	134000

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹8.81 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "6"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा

₹880867/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register Form 20
2	Bill Register Form 13
3	Cheque issue/Receipt Register
4	Work Register
5	Temporary Advance Register
6	Stationery Register From 28
7	stock entry of Consumable Register form 26

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 IWMP-II (Adat) की रोकड़ बही से ₹15000/– की निकासी बारेः–

IWMP-II की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 13, दिनांक 21.3.15 को चैक संख्या 939830 (SBI) द्वारा ₹15000 की निकासी करके के0सी0सी0 बैंक में जमा दर्शाया गया है परन्तु के0सी0सी0 बैंक के किस खाते में राशि जमा की गई का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज नहीं है। अतः निकाली गई राशि किस बैंक खाते में व किस उद्देश्य हेतु जमा करवाई गई का पूर्ण विवरण से अंकेक्षण को अवगत करवाया अन्यथा इसकी वसूली करके सम्बन्धित रोकड़ बही में जमा करवाई जाए।

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 **निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत उदयपुर की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(8) 6/2016–खण्ड–1 –1751–1754 दिनाँकः 23.03.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, लाहौल स्पिति स्थित केलांग, जिला लाहौल–स्पिति, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.